

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लालपुरा

आदेश

173/2021
प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का हिजोनिपा
व भूअ.नि. वृत्त तामड़िया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकड़ / नायब
तहसीलदार चाकड़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हिजोनिपा तहसील चाकड़ व जिला जयपुर
की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 64
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हिजोनिपा	64	वृजमोहन पुत्र गोपाल	वृजमोहन पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल

शिविर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
चाकसू, जयपुर।

दिनांक:- 17-12-2021

क्रमांक:- राजस्व/2021/173
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकड़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री वृजमोहन पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
चाकसू, जयपुर।